

मुज़फ़्फ़रनगर विकास प्राधिकरण, मुज़फ़्फ़रनगर

दिनांक 16/5/11

[illegible]

.....समूह के सभी भवन निर्माण की मौहल्ला / कॉलोनी / ग्राम महिषा, बुध..... भूखण्ड / भवन

सं० पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र सलग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
 2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
 3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
 4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
 5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय को विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
 6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
 7. आप भवन उप नियमों के नियम 21 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
 8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
 9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण/पत्र प्राप्त करेंगे।
 10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेंगे।
- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की प्रति,

प्रतिलिपि :- अवर अभियन्ता

को प्रेषित ।

[Signature]

प्रभारी अधिकारी / सचिव / उपाध्यक्ष

मूजफ्फरनगर विकास प्राधिकारण

मूजफ्फरनगर